पटना में दिनांक—19 अगस्त, 2026 बुधवार को अपराह्न 5:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये:—

जल संसाधन विभाग

1. सिंचाई प्रमंडल, नरपतगंज अंतर्गत जानकीनगर शाखा नहर एवं इससे निःसृत नहर प्रणालियों का पुनर्स्थापन कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि रू० 30,35,73,000/—(तीस करोड़ पैंतीस लाख तेहत्तर हजार रूपये) मात्र है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 1. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

2. सिंचाई प्रमंडल, कटिहार अंतर्गत कटिहार वितरणी, फूलपुर उप—वितरणी, हसनगंज उप—वितरणी, बैजनाथपुर उप—वितरणी एवं सेमापुर उप—वितरणी तथा इससे निःसृत नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि रू० 35,81,52,000/—(पैंतीस करोड़ इकासी लाख बावन हजार रूपये) मात्र है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 2. **स्वीकृत।**

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

3. सात निश्चय—3 के तहत वित्तीय वर्ष 2026—27 में रूपये 63,92,95,000/—(रूपये तिरसठ करोड़ बानवे लाख पंचानवे हजार) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्फेड, पटना द्वारा राज्य में दुग्ध उत्पादन एवं पशु के उत्पादकता में वृद्धि हेतु "नस्ल सुधार योजना" की स्वीकृति के संबंध में। — 3. **स्वीकृत।**

पंचायती राज विभाग

4. बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि० (अकार्यरत) के नामित प्रबंध निदेशक द्वारा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (NCLT) में वाद दायर करते हुए परिसमापन (Liquidation) की कार्रवाई किये जाने के संबंध में। — 4. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

5. बक्सर—भागलपुर छः—लेन fully access controlled ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे पथ (कुल लम्बाई—336.00 कि०मी०) परियोजना को PPP (DBFOT Toll) पद्धति पर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम क्रियान्वित कराने, DPR परामर्शी तथा Transaction Advisor की सेवा प्राप्त करने एवं इस कोरिडोर के आस—पास बड़े भू—खण्डों का आर्थिक प्रयोजन हेतु विकसित करने के लिए BSRDCL को प्राधिकृत करने के सैद्धांतिक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में। — 5. **स्वीकृत।**

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

(निबंधन)

6.	कजरा सोलर पावर परियोजना, (लखीसराय) के अधिष्ठापन हेतु अधिग्रहित भूमि के लीज दस्तावेज के निबंधन पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क में शत्–प्रतिशत छूट प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

7.	निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के क्षेत्राधीन अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, गयाजी, छपरा, भागलपुर एवं डालमियानगर का नाम परिवर्तित करते हुए क्रमशः जिला नियोजनालय, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, गयाजी, छपरा, भागलपुर एवं रोहतास करने की स्वीकृति के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

लघु जल संसाधन विभाग

8.	सात निश्चय–2 अन्तर्गत "हर खेत तक सिंचाई का पानी" के अन्तर्गत अनुदान आधारित मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत पूर्व से स्वीकृत 35000 नलकूपों के अधिष्ठापन हेतु कुल राशि रू०–266.00 करोड़ मात्र के अतिरिक्त आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 11000 नलकूपों के अधिष्ठापन हेतु 83.60 करोड़ रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

9.	राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु टायो (Taiyo) एआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति।	9.	स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

10.	सहकारी चीनी मिलों के अधिसूचित आरक्षित क्षेत्र (Command Area) अंतर्गत प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति के गठन की स्वीकृति के संबंध में।	10.	स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

11.	वित्तीय वर्ष 2026–27 में 48200 (अडतालीस हजार दो सौ) मे०टन भण्डारण क्षमता के सृजन हेतु 200 (दो सौ) मे०टन, 500 (पाँच सौ) मे०टन एवं 1000 (एक हजार) मे०टन प्रति इकाई क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए समितियों को 50 (पचास) प्रतिशत अनुदान तथा 50 (पचास) प्रतिशत चक्रीय पूँजी के रूप में कुल रू० 34,95,27,730/–(चौंतीस करोड़ पंचानवे लाख सत्ताईस हजार सात सौ तीस) मात्र के योजना की स्वीकृति।	11.	स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

12. जिला/जिला समूह/प्रमण्डल स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ एवं राज्य स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी परिसंघ के गठन की स्वीकृति के संबंध में। — 12. **स्वीकृत।**

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

13. बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया नियमावली–2024 के नियम–8(vi), 11, 11(A) एवं 11(B) में संशोधन एवं अतिरिक्त नियम –14(A), 14(B), 14(C) के रूप में जोड़े जाने हेतु बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया (संशोधन) नियमावली–2026 के संबंध में। — 13. **स्वीकृत।**